समक्ष – श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

डेलन पिता सीताराम रैकवार
निवासी रामटौरिया तह. घुवारा जिला–छतरपुर म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्ता

म0प्र0 शासन
तहसीलदार घुवारा जिला–छतरपुर म0प्र0
कालू उर्फ कालीचरण पिता कूरा रैकवार
निवासी रामटौरिया जिला–छतरपुर

...... अनावेदक

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 निगरानी

महोदय,

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता एवं अनावेदक दोनों वर्णित स्थान के निवासी है।
2. यह कि, तहसीलदार महोदय, घुवरा जिला–छतरपुर म.प्र. के रा.प्र. क. 0002/अ 6/2015–16 की आदेश पत्रिका दिनांक–13.09.2017 से प्रतिवेदित होकर श्रीमान् जी के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है कि :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक डेलन पिता सीताराम रैकवार निवासी रामटौरिया ने म0प्र0 भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 109–110 के अंतर्गत बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि आवेदक की सगी मौसी स्व. रामकली रैकवार ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से की जमींन जो कि बसीयतकर्ता का प्रथक से खाता था उन्होंने संपूर्ण चल अचल संपत्ति का बसीयतनामा पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में 30.07.2016 को बसीयतनामा निष्पादित कराया था चूकि स्व. रामकली बसीयतकर्ता लाऔलाद फौत हो चुकी थी, किन्तु उनके पति सल्ला रैकवार पिता तुल्ला रैकवार निवासी रामटौरिया जीवित थे। उक्त प्रकरण में सल्ला रैकवार आपत्तिकर्ता के रूप में उक्त प्रकरण में उपस्थित हुये थे। जिन्होंने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय के यहॉं उपस्थित होकर 30.06.2017 को अपने कथनों में कहा था कि मेरी पत्नि रामकली ने मेरे भतीजे डेलन को बसीयतनामा लेख कराया है। तत्पश्चात सल्ला रैकवार का स्वर्गवास दिनांक–29.07.2017 को हो गया था। जिस संबंध में तथाकथित कालीचरण उर्फ कालू रैकवार निवासी रामटौरिया की ओर से उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के संबंध में एक तथाकथित बसीयतनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें स्व. सल्ला रैकवार के द्वारा स्व. रामकली रैकवार की जमींन का बसीयतनामा को उल्लेखित कराया गया और उक्त तथाकथित बसीयतनामा के आधार पर पक्षकार बनाये जाने के संबंध में न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

क्रमश :02

IX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4849 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष आपत्तिकर्ता सल्ला के मृत होने के कारण उसके स्थान पर अनावेदक कालू उर्फ कालीचरण को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिए हैं एवं प्रकरण शेष प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया है । आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष सल्ला के कथन एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जबाव की प्रति पेश की है । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त जबाव एवं कथनों पर कोई विचार नहीं किया गया है एवं सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनाया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उक्त आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है । अतः आलोच्य अंतरिम आदेश निरस्त करते हुए उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वे पुनः उभयपक्ष को सुनकर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जबाव पर विधिवत विचार कर बोलता हुआ आदेश पारित करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	